



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26477-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1098 वर्ष 2026

सुभाष और 13 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुकुल यादव, राजेश यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : चंद्र कांत त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में थाना-कोतवाली, जिला-गाजीपुर में बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2), 109(1), 110, 351(3), 115(2), 75(1), 333, 310(2) के तहत दर्ज एफआईआर दिनांक 17.12.2025, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 948 वर्ष 2025 उत्पन्न हुआ है, को रद्द करने की मांग की गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण 17 व्यक्तियों को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है।
5. विद्वान एजीए ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण 17 व्यक्तियों को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, पीड़ितों को आई चोटों और विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि को देखते हुए, हमारी राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

7. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार कर निस्तारण किया जाए।

9. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"